न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राज0)

(बईजिलास सुरेश कुमार ओला I.A.S.)

प्रकरण संख्या 01/2020

दायर दिनांक 17.03.2020
फैसल दिनांक 04.08.2021

श्री सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मेसर्स दिया केटर्स प्रोपाईटर श्री विजय हलवाई निवासी सेक्टर 6, हाउसिंग बोर्ड माताजी मंदिर के पास जिला डूंगरपुर
2. प्रो. श्री रमेश पिता नक्काजी कटारा कार्यकर्ता दिया केटर्स डूंगरपुर निवासी कोल्यारी तहसील झाडोल थाना फलासिया जिला उदयपुर

विपक्षी

उपस्थिति

1. विभागीय पेरोकार — प्रार्थी
2. श्री ऋषि दवे एडवोकेट — विपक्षी

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर की ओर से विरूद्ध विपक्षीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा 94 घेरलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध रूप से भण्डारण किये जाने से एल. पी. जी. गैस कन्ट्रोल ऑर्डर 2000 के क्लोज 3, 4, 7 का उल्लंघन करने से जप्त शुदा 94 घरेलू गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की **धारा–6ए (i)** के तहत राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.02.2020 को पुलिस उप अधीक्षक वृत डूंगरपुर को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि डूंगरपुर सेक्टर 6 हाउसींग बोर्ड माताजी के मंदिर के पास स्थित दीया केटर्स डूंगरपुर के विपक्षी संख्या–1 के स्वामी द्वारा दूकान व गौदाम में अवैध रूप से रिहायशी इलाके में कॉफी संख्या में घरेलू गैस के सिलेण्डरों का भण्डारण किया गया है। उक्त मुखबीर की सूचना पर प्रार्थी जिला रसद अधिकारी को सूचना दी जाकर मय थानाधिकारी कोतवाली व पुलिस जाप्ता के जांच हेतु मौके पर पहूंचे। मौके पर विपक्षी संख्या–1 के अधिपत्य की दूकान एवं गोदाम की जांच दल द्वारा निरीक्षण करने पर 82 इण्डेन घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें से 79 भरे हुए एवं 3 खाली सिलेण्डर तथा 12 एच.पी. घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें से 8 भरे हुए व 04 खाली सिलेण्डर पाये गये। मौके पर उपस्थित विपक्षी संख्या 2 से पुछताछ करने पर उनके द्वारा बताया कि उक्त दूकान व गोदाम विपक्षी संख्या 1 श्री विजय हलवाई दिया केटर्स का होना बताया तथा उक्त 82 ईण्डेन गैस के तथा 12 एच.पी. गैस के घरेलू गैस सिलेण्डर पूनम गैस एजेन्सी भीण्डा से लाकर रखना बताया गया। विपक्षीगण से पुछताछ करने पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के वैध दस्तावेज मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रार्थी द्वारा उक्त मेसर्स लक्ष्मी गैस एजेन्सी डूंगरपुर के मेनेजर को बुलवा कर सभी 94 घरेलू गैस सिलेण्डरों के एस.आर. नम्बर ग्रोस वेट टेयर वेट [illegible] सिलेण्डरों में संग्रहित गैस का वेईंग मशीन से तौल कर कागजात तैयार कर [illegible] 943 किया, गैस को जप्त सरकार कर मैसर्स इन्द्रदेव ग्रामीण इण्डेन गैस वितरण [illegible] के मेनेजर श्री नानालाल घोघरा को सुपुर्द किये गये। विपक्षी द्वारा अनुज्ञापत्र [illegible] के बिना रिहायशी [illegible] में घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण करना एल.पी.जी. गैस कन्ट्रोल ऑर्डर 2000 के क्लोज 3, 4, 7 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.08.16 15:26:02 IST
Reason: SelfAttested

अवहेलना करने से जप्त शुदा 94 गैस सिलेण्डर मय गैस 943 किग्रा. को राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की **धारा–6ए (i)** के तहत राजसात करने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से पृथक–पृथक वकालतनामें एवं जवाब पेश हुए जो संलग्न पत्रावली है।

प्रकरण में पक्षकारों की बहस समायत की गई। विभागीय पेरोकार ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति की गई तथा विपक्षी के विद्वान अभिभाषकों द्वारा जवाब के तथ्यों को दोहराया गया।

विभागीय पेरोकार ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहरोते हुए कथन किया कि पुलिस उप अधीक्षक वृत डूंगरपुर को मुखबरी से सेक्टर–6 हाउसिंग बोर्ड माताजी मंदिर के पास स्थित दिया केटर्स के स्वामी श्री विजय हलवाई ने उनकी दूकान व गौदाम में अवैध रूप से गैस सिलेण्डर का भण्डारण किया जाने से पुलिस जाप्ता मय विपक्षी जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर के मौजा जांच की गई। जांच के दौरान विपक्षी की दूकान एवं गौदाम में 94 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। इनमें से 82 इण्डेन गैस सिलेण्डरों में से 79 भरे हुए एवं 3 खाली थे तथा 12 एच.पी. घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 8 सिलेण्डर भरे हुए तथा 4 सिलेण्डर खाली पाये गये। मौके पर विपक्षी संख्या–2 उपस्थित मिला। विपक्षी संख्या–2 से पुछताछ करने पर उक्त 94 घरेलू गैस सिलेण्डरों को संग्रहित करने का कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किये तथा न ही विपक्षी संख्या–1 के द्वारा भी उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों के संग्रहण बाबत कोई वेद्य दस्तावेज प्रस्तुत किये। विभागीय पेरोकार ने बहस में कथन प्रकट किया कि बिना किसी वैद्यता के रिहायशी क्षेत्र में गैस सिलेण्डरों का संग्रहण करना नियम विरूद्ध है तथा दूर्घटना होने की आशंका से जानमाल का नुकसान होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। विपक्षी का अवैद्य रूप से बिना किसी सक्षम स्वीकृति के गैस सिलेण्डरों को संग्रहित करना एल.पी.जी. गैस कंट्रोल ऑर्डर 2000 के क्लॉज 3, 4, 7 का स्पष्ट उल्लंघन होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की **धारा–6ए (i)** के तहत राजसात करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विपक्षी संख्या–1 की सेक्टर–6 हाउसिंग बोर्ड माताजी मंदिर के पास दीया केटर्स के नाम से दूकान एवं गोदाम स्थित है। पुलिस जाप्ता एवं जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा दिनांक 22.02.2020 को जांच के दौरान 84 ईण्डेन घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 79 भरे हुए तथा 3 खाली सिलेण्डर पाये गये तथा 12 एच.पी. घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 8 गैस भरे हुए तथा 4 खाली सिलेण्डर पाये गये है। विपक्षी संख्या–2 के विद्वान अभिभाषकों ने बहस में कथन किया कि उक्त कुल 94 घरेलू गैस सिलेण्डर उनके द्वारा संग्रहित नहीं किये है। यह 94 गैस सिलेण्डर पूनम इण्डेन ग्रामीण वितरण गेस एजेन्सी भिण्डावाले के मध्य जान पहचान थी, वक्त घटना पूनम इण्डेन गैस एजेन्सी की गाडी खराब होने के कारण गाडी में रखे सिलेण्डर किराये के गोदाम आदि में रखकर गये थे। उक्त सिलेण्डर विपक्षी संख्या–2 ने अनभिज्ञता के कारण रखने की स्वीकृति दी गई थी। उक्त गैस सिलेण्डरों से उनका कोई सरोकार नहीं होने का विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया। उक्त जप्त शुदा 94 गैस सिलेण्डर का विपक्षीगण से कोई सरोकार नहीं होने से विपक्षीगण के विद्वान अभिभाषक ने उनके विरूद्ध कार्यवाही खारीज करने का अनुरोध किया।

हमारे द्वारा पक्षकार की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 22.02.2020 को मुखबरी से सूचना मिलने पर पुलिस जाप्ता एवं जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा विपक्षीगण के सेक्टर–6 हाउसिंग बोर्ड माताजी के मंदिर के पास विपक्षी के दिया केटर्स की दूकान एवं गोदाम पर कुल 94 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिसमें से 82 ईण्डेन गैस के सिलेण्डरों में से 79 गैस से भरे हुए तथा 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.08.16 16:26:02 IST
Reason: SelfAttested

खाली पाये गये तथा 12 एच.पी. घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 8 भरे हुए एवं 4 खाली पाये गये। विपक्षीगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा उक्त 94 गैस के सिलेण्डर पूनम ईण्डेन ग्रामीण वितरण गैस एजेन्सी भिण्डा वालों के होकर उनकी गाडी खराब होने से वहां के तथ्य अविश्वसनीय एवं काल्पनिक होना पाया जाता है। उक्त 94 घरेलू गैस सिलेण्डर में से 82 गैस सिलेण्डर ईण्डेन गैस के तथा 12 घरेलू गैस एच.पी. के थे। यदि उक्त सभी गैस सिलेण्डर पूनम ईण्डेन ग्रामीण वितरण एजेन्सी भीण्डा के होते तो वह उक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु प्रकरण में प्रतिरक्षण हेतु आवश्यक पक्षकार बनता। उक्त 94 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 12 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी. गैस के होने से पूनम गैस एजेन्सी भीण्डा के नहीं हो सकते, चूंकि वह ईण्डेन गैस वितरक है। इससे स्पष्ट है कि उक्त 94 गैस सिलेण्डरों में से 87 गैस से भरे हुए एवं 7 खाली गैस सिलेण्डर रिहायशी इलाकें में बिना वैद्य स्वीकृति के भण्डारित करना नियम विरूद्ध पाया जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या– 1 द्वारा अनाधिकृत रूप से भण्डारित 94 एल.पी.जी.गैस सिलेण्डर जिसमें 943 किग्रा. एल.पी.जी गैस सहित को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर उक्त 94 एल.पी.जी.गैस सिलेण्डर सुपूर्दकर्ता से प्राप्त कर गैस सिलेण्डर नियुक्ता कम्पनी में अमानत के रूप में रसीदन सुपूर्द करें तथा जिसमें से गैस से भरे हुए सिलेण्डरों की 943 कि.ग्रा. गैस की अधिकतम दर से राशि नियुक्ता कम्पनी से प्राप्त कर अमानत के रूप में कार्यालय में जमा रखी जावें यह आदेश उच्चतर न्यायालय के निर्णय के अध्ययधीन रहेगा। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावे।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2021.08.16 15:26:02 IST
Reason: SelfAttested